

चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 35 / 2021 धारा 380 / 457 भादवि व मु0अ0सं0 39 / 2021 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता अखतरूल उर्फ तल्वी पुत्र अखलाक अहमद निवासी जलकल रोड़ थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.01.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र स्थित बैंक परिसर से पिछली दिवार को तोड़कर बैंक में लगे डीवीआर व अन्य उपकरण को चुरा लिया गया था उक्त के क्रम में बैंक मैनेजर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद में लिखित तहरीर देकर 17.01.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत किया गया था उक्त के क्रम में आज दिनांक 22.01.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस उ0नि0 शैलेन्द्र शुक्ल मय हमराही कां0 रविन्द्र कुमार व कां0 अनुराग कुमार द्वारा उक्त अभियुक्त को डीघा बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

कोविड नियमों के उल्लंघन व चिकित्सा लापरवाही से अज्ञात शिशु की मृत्यु के आरोप में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 113 / 2020 धारा 118/ 270 /304/ 316/ 420/ 504 भादवि व धारा 52 आपदा प्रबन्ध अधिनियम व 15 इण्डियन मेडिकल काउन्सिल अधिनियम के आरोप में वांछित अभियुक्ता नाम पता संध्या पत्नी हरिकेश पता ग्राम झझवा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर हालमुकाम शारदा नर्सिंग होम नायक टोला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्ता द्वारा दिनांक 13.05.2020 को कोविड 19 के नियमों के उल्लंघन करने व आशा बहू व हॉस्पिटल द्वारा लोगों को गुमराह करने तथा लापरवाही करने से पीड़िता सुनीता के पेट में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ अनिल कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 15.05.2020 द्वारा थाना मेहदावल पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था उक्त के क्रम में आज दिनांक 22.01.2021 को थाना मेहदावल पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

जनपद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दबिस के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1 – तुलसी पुत्र सहतू निवासी जब्बार थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह द्वारा 2 श्रीराम उर्फ शिवराम पुत्र हरिवंश उर्फ कुल्लुर निवासी टेडवरिया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को उ0नि0 राधेश्याम प्रसाद द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 610 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्त नाम पता 1 – सुदेश पुत्र रूपनाथ निवासी रूईहट्टा 2- जुबेर पुत्र शम्मशुद्धीन निवासी बारगड्डी 3 – इमरान उर्फ बब्बन निवासी भितरी मोहल्ला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 610 रुपये मालफड़ व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 19 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

750 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 750 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त नाम पता संतोष प्रसाद पुत्र बाबूराम निवासी अमलिहवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 21 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा अपहृता को किया गया बरामद

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 533 / 2020 धारा 363 भादवि से संबन्धित अपहृता को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा डीघा बाईपास से बरामद किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 17.09.2020 को वादिनी मीरा देवी पत्नी लालजी निवासी काशीराम आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अपने पुत्री के अपहरण की सूचना सूचना दर्ज कराया गया था उक्त के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक को उक्त अपहृता को डीघा बाईपास से बरामद कर चिकित्सा परिक्षण हेतु भेजा गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा अज्ञात बेहोश व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल - पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत जंगले बेलहर से इवेन्ट संख्या 00376 से कालर ने सड़क के किनारे अज्ञात व्यक्ति के बेहोश होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 0 7 मिनट में पहुंचकर व्यक्ति को एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वा० केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया तथा थाना मेहदावल को सूचना दी गयी । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर व्यक्ति को अस्पलात भेजवाकर उसकी जान बचायी गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु० आ० संजय कुमार यादव, आरक्षी दिलीप कुमार, हो०चा० उमेश कुमार यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनो से 51700 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 22.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनो से 51700 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।